



भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2017/चैत्र 15, 1939

No. 264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 331(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क और धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 मार्च, 2017 से प्रवृत्त हुए, समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 114ख के चौथे परंतुक में "28 फरवरी" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 जून" अंकों, अक्षरों और शब्दों को रखा जाएगा।

[अधिसूचना सं. 27/2017/फा. सं. 370142/32/2017-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 325(अ) तारीख 3 अप्रैल, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

(2) वर्तमान अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के द्वारा कोई भी प्रतिकूल प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2017

G.S.R. 331(E).—In exercise of the powers conferred by section 139A and section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income –tax (Seventh Amendment) Rules, 2017.
(2) It shall be deemed to have come into force from the 1st March, 2017.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114B, in the fourth proviso, for the figures, letters and words “28th day of February”, the figures, letters and words “30th day of June” shall be substituted.

[Notification No. 27/2017/F. No. 370142/32/2017-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note : (1) The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2017 *vide* notification number G.S.R. 325(E), dated the 3rd April, 2017.

- (2) By giving retrospective effect to the present notification, no one will be adversely affected.